20035, 27.11.20

बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

ई–मेल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं०:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:–ceo_bihar@eci.gov.in

संचिका सं०– डी1– 39 / 2020 /163

पटना, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 ई०।

आदेश

Misc. Election Petition case No......... Of 2020 (U/s.19A& 20 Of Represesentation of the People Act, 1951) Muslim Abasi alias Muslim Miyan Versus Returning Officer, Sasaram & Others. मामला मुख्य निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष श्री रामजीत सिंह विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया गया है। यह Misc Election Petition Case No- 2020 निर्वाची पदाधिकारी, 209– करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मुस्लिम मियाँ का नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किये जाने से संबंधित है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19 और 20, जिसके तहत यह आवेदन दाखिल किया गया है, उसके अन्तर्गत आवेदन दाखिल करने का प्रावधान नहीं है।

निर्वाचनों के संचालन संबंधित मामला/विवाद के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 एवं 80क के अनुसार Election Petitions उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन अर्जियों का विचारण किया जाना है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष Election Petition दाखिल करने का न तो प्रावधान है और न ही इसका विचारण किया जा सकता है। अस्तु एक शिकायत के रूप में विचार किया जा रहा है। निर्वाची पदाधिकारी, 209 करगहर विधान सभा क्षेत्र से मुस्लिम मियाँ का नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 2036 दिनांक– 26.10.2020 निर्वाचन विभाग को समर्पित किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक (श्री मुस्लिम मियाँ) के नाम निर्देशन पत्र के साथ समर्पित प्रपत्र– 26 (शपथ पत्र) के कॉलम संख्या– 07 के 'अ' वे भाग IX ,एवं कॉलम सं०– 08 के भाग में सूचना अपूर्ण था। नोटिस निर्गत करने के बावजूद स्कुटनी की तिथि दिनांक– 09.10.2020 को निर्धारित समय तक प्रारूप– 26 दाखिल नहीं किये जाने के फलस्वरूप आवेदक के नाम निर्देशन पत्र को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोंपरान्त दाखिल किये गये Misc Election Petition जिसे एक शिकायत के रूप में विचारण किया गया है, उक्त को निष्पादित किया जाता है।

ह0/- 18/11

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– डी1– 39 / 2020 7178

पटना, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:– जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, रोहतास / निर्वाची पदाधिकारी, 209 करगहर विधान सभा क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– रामजीत सिंह, अधिवक्ता, लैंड नं०– 1, थाना– गाँधी मैदान, पो०– कदमकुआँ, पटना–800003 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–श्री अभिषेक कुमार आई०टी०मैनेजर, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 18/11

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।